आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–f23(10)/accts./cce/Sch./ScootyD.B.T./2024-25and2025-26-25603-9333594-PartFile(1)-9640929 दिनांकः–

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं
प्रोत्साहन राशि योजना, राजस्थान।

विषयः– वर्ष 2024–25 की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी एवं देवनारयण छात्रा स्कूटी वितरण योजना अन्तर्गत पात्र छात्राओं को डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तान्तरण हेतु प्राचार्य/जिला नोडल को जारी किये जाने वाले निर्देशों के क्रम में।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत स्कूटियों की आपूर्ति में विलम्ब पंजीयन की लम्बी प्रक्रिया, भण्डारण की समस्या तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होने जैसी व्यवहारिक कठिनाई के समाधान एवं कार्य को गति देने हेतु चयनित छात्राओं को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे पात्र छात्राओं के खातें में हस्तान्तरण किया जाना है।

उक्त कार्य हेतु समस्त जिला नोडल अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

1. वर्ष 2024–25 की विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2025 को जारी की गई स्थाई वरीयता सूची में चयनित 25977 छात्राओं की **पात्रता की जांच** कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के नियमों के अनुसार किया जाना है।
2. वर्ष 2024–25 की चयनित छात्रा के आनलाईन आवेदन पत्र में अंकित सूचना/संलग्न दस्तावेजों का मिलान छात्रा के मूल दस्तावेजों से करना सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2024–25 की स्थाई वरीयता सूची में चयनित छात्राओं की पात्रता के सम्बन्ध में योजना के नियमानुसार अंतिम निर्णय प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
4. वर्ष 2024–25 की स्थाई वरीयता सूची में चयनित 25977 छात्राओं के आनलाईन आवेदन पत्रों को निम्न सूचनाऐं आनलाईन आवेदन पत्र पर अपडेट किये जाने हेतु सम्बन्धित छात्राओं के स्तर पर फॉरवर्ड किया जायेगाः–
    - Account Holder Name
    - Bank Name
    - Account Number
    - IFSC Code
    - Mobile Number
    - छात्रा द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र में Passbook/ Cancel Cheque अपलोड किया जावेगा।
5. छात्रा द्वारा उपरोक्त सूचना अंकित करने के पश्चात आवेदन पत्र जिला नोडल महाविद्यालय को फारवर्ड किये जायेंगें। समस्त प्राचार्य/नोडल अधिकारी उक्त सूचनाओं की जांच चयनित छात्राओं के आनलाईन आवेदन पत्र में अपलोड किये गये पासबुक/केन्सिल चैक से की जायेगी। ध्यान दे की आवेदन पत्र में अंकित खाता सम्बन्धित छात्रा का ही हो।
6. जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्थाई वरीयता सूची में चयनित छात्राओं के आनलाईन आवेदन पत्रों की जांच छात्राओं के मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए की जावेगी। मूल दस्तावेजों से मिलान के पश्चात योजना के नियमानुसार छात्रा के पात्र पाये जाने पर ही आवेदन पत्र को डी.बी.टी. हेतु जिला नोडल अधिकारी द्वारा Approve किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by Dilip Kumar Goyal
Designation : Joint Director
Date: 2026.05.04 16:03:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21977932
eSign 1.0

7. विभागीय आदेशों की अनुपालना में जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्ष 2024–25 की जिन पात्र छात्राओं को वर्ष 2023–24 की शेष रही स्कूटियों में से वितरण किया गया है। उन आवेदन पत्रों को डी.बी.टी. हेतु Approve ना करें।
8. जिला नोडल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र Approve किये जाने से पूर्व **"All Documents and bank details of students (self) is completely check and student is found Eligible/छात्रा (स्वयं) के सभी दस्तावेज और बैंक विवरण की पूरी तरह से जांच कर ली गई है और छात्रा पात्र पाई गई है।"** का पोपअप मैसेज दिखेगा।
9. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी द्वारा पात्रता जांच के पश्चात छात्रा को पात्र पाये जाने पर डी.बी.टी. हेतु Approve किये गये आवेदन पत्र में अंकित प्रमाणित बैंक खातें में अनुमोदित राशि का डी.बी.टी. किया जायेगा।
10. प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी की पात्रता सम्बन्धित सूचना के आधार पर **यदि किसी अपात्र छात्रा तथा वर्ष 2024–25 में जिन छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा चुका है उनका आवेदन डी.बी.टी. के लिए Approve किये जाने पर यदि खातें में राशि का हस्तान्तरण हो जाता है तो उक्त की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्राचार्य व जिला नोडल अधिकारी दोनो की व्यक्तिशः होगी।**
11. उक्त समस्त कार्य आगामी तीन दिवस में अनिवार्य रूप से सम्पन्न किया जाना है।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति
कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांकः–f23(10)/accts./cce/Sch./ScootyD.B.T./2024-25and2025-26-25603-9333594-PartFile(1)-9640929 दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
2. वरिष्ठ निजि सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, अल्पसंख्यक मामलात विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, छात्रवृत्ति

RajKaj Ref No.: 21977932

eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Dilip Kumar Goyal
Designation : Joint Director
Date: 2026.05.04 16:03:35 IST
Reason: Approved